233/31-4-1988-134/93

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी०टी०रोड, कानपुर ।

(11)

:: आ दे श ::

औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में निवास कर रहे अध्यासियों द्वारा आवासों के अन्दर स्थाई प्रकार के निर्माण जो अनाधिकृत की श्रेणी में आते हैं, किये गये हैं। शासन द्वारा ऐसे मामलों को लेवी/पेनाल्टी लगाकर कम्पाउण्डिग करने हेतु शासनादेश दिनांक 21.1.88 द्वारा निर्देशित किया गया है । लेवी एवं पेनाल्टी से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में स्थानीय नगर महापालिका, नगर पालिका, टाउन एरिया में जो दरें प्रचलित हैं उन्हीं पर इन अनाधिकृत निर्माण की कम्पाउण्डिगं किये जाने के आदेश शासन द्वारा किये गये हैं । आदेश के अनुसार रूपया 20/- प्रति वर्गफुट की पेनाल्टी व रू० 1000/-दण्ड बिना सूचना आवंटन नियमों के विपरीत निर्माण करने का लगाया जायगा।

अतः सभी गृह निरीक्षक शासनादेश दिनांक 21.1.88 के अनुरूप ऐसे अनाधिकृत निर्माण जो स्थाई प्रकार के हों, तथा निर्धारित भूमि सीमा के अन्दर हैं बाहर नहीं है, की कम्पाउण्डिगं हेतु आवश्यक जाँच कर तुरन्त कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें। यह जाँच अधिकृत/अनधिकृत दोंनो ही प्रकार के अध्यासियों के मामले में लागू होगी ।

मेरे पूर्व आदेशों में गृह निरीक्षकों को मानक किराये पर आवंटन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे तथा सभी गृह निरीक्षकों ने आश्वस्त किया था कि वे प्रतिदिन 15 - 15 मामलों का सर्वेक्षण कर मुझे अवगत करायेंगे तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे किन्तु गृह निरीक्षकों द्वारा निर्देशित कार्यवाही नहीं की जा रही है । कृपया नोट करें कि उनकी यह उदासीनता उनके वार्षिक चरित्र पंजिका में प्रवृष्टि का आधार बनाई जायगी । अतः उन्हें एतद्द्वारा सूचित कराया जा रहा है कि वह मेरे पूर्व आदेशों तथा कम्पाउण्डिगं से सम्बन्धित उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

। जे०एस०पी०पाण्डेय ।
अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 720-70 /अ०श्र०।गृह।कैम्प-9। दिनांक: मार्च 8 , 1991

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त ।नाम से ।
2. समस्त गृह निरीक्षक/सहायक गृह निरीक्षक ।
3. सहायक श्रमायुक्त ।गृह।
4. सहायक लेखा अधिकारी ।गृह।
5. कार्यालय अधीक्षक।गृह।
6. गृह निरीक्षक ।मुख्यालय।

। जे०एस०पी०पाण्डेय ।
अपर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।